न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 134/2013

सावित्री देवी पुत्री ब्रदीप्रसाद पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर हाल आबाद मकान नं. 25 एच ए ब्लॉक संतधर्म सभा मन्दिर श्रीगंगानगर। **——अपीलार्थी**

बनाम

1. ओमप्रकाश (मृतक)के विधिक प्रतिनिधिः—

   1/1 शांतिदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर — मृतक

   1/2 प्रेमकुमार उर्फ पोला पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

   1/3 सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी तलवाडा खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)।

2. विद्यादेवी पुत्री ब्रदीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. रूकमा पत्नी भागीरथ जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. सरोज पत्नी जगदीश पुत्र भागीरथ जाति ब्राहमण निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. राजकुमारी पत्नी संतराम पुत्र भागीरथ जाति ब्राहमण निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रानी पत्नी मनोजकुमार पुत्री भागीरथ जाति ब्राहमण निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

14/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यप्रति
रीडर
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

7. विमला पुत्री भागीरथ पत्नी रोहिताश जाति ब्राहमण निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. जगदीश पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. फूसाराम पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी लागढगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. मोहनलाल के विधिक प्रतिनिधि :–

    10/1 सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

    10/2 जयपाल पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

––––रेस्पोडेन्टान

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, सादुलशहर

दिनांक 03.12.2013

उपस्थिति

श्री काशीराम रणवां, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक रेस्पों. सं. 8

श्री इकबाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 14.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिया/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88, 55, 188 के तहत पेश कर नानू राम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि वादिया व प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 3 के ससुर व 4 ता 7 के दादा बद्रीप्रसाद के नाम से चक 8 एलएलजी में प्र. नं.

14/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

11/160 मु. नं. 170 के कि. नं. 8 ता 13, 18 ता 23 पं. 11/161 मु. नं. 73 के कि. नं. 1 ता 3, 8 ता 13 की 6 बीघा पं. नं 13/163 मु. नं. 95 के कि. नं. 14 ता 17, 24 ता 25 की 6 बीघा प. नं. 14/163 मु. नं. 96 के कि. नं. 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 39 बीघा व चक 12 एलएलजी के प. नं. 7/170 मु. नं. 6 के कि. नं. 13 ता 25 की 12 बीघा पं. नं. 7/171 मु. नं. 9 कि. नं. 1 ता 15 की 15 बीघा, 19 ता 20 की 2 बीघा कुल 30 बीघा व पं. नं. 8/169 मु. नं. 3 कि. नं. 21 ता 25 की 5 बीघा प. नं. 8/170 मु. नं. 7 के कि. नं. 1 ता 15 की 15 बीघा, 18 ता 20 की 3 बीघा कुल 20 बीघा तथा 12 एलएलजी के प. नं. 7/170 मु. नं. 6 कि. नं. 13 ता 25 की 13 बीघा प. नं. 6/171 मु. नं. 9 कि. नं. 1 ता 15 की 15 बीघा, 19 ता 20 की 2 बीघा कुल 30 बीघा उक्त तीनों चकों की 83 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीप्रसाद के नाम से दर्ज थी। बद्रीप्रसाद की मृत्यु के पश्चात् बद्रीप्रसाद की विधवा व उसके पुत्रों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ लेकिन सहवन से उनकी पुत्रियां वादिया व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज नहीं हुआ तथा 1978 में बद्रीप्रसाद की पत्नी नानु देवी का देहान्त हो गया जिसके हिस्से के रकबा का इंतकाल विरासतन दिनांक 19.08.1996 को दर्ज हो चुका है । हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत वादिया जो कि बद्रीप्रसाद व नानु देवी की औलाद है । अपने माता–पिता की भूमि में कानूनन हक व हिस्सा बनता है । इसलिए वह अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादिया को उसके हिस्से की जमीन का हिस्सा व ठेका देते रहे । वादिया ने ठेका बढ़ाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जितना जमीन में हिस्सा है उतना ही तुमको ठेका देंगे । प्रार्थीया व उसके पति ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि नानु देवी के हिस्सा की भूमि को वादिया के रिकॉर्ड के नाम दर्ज है । लेकिन बद्रीप्रसाद के रकबा में कोई हिस्सा दर्ज नहीं हुआ। वादिया ने अपने हिस्से की मांग की तो प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार करते हुए वादिया को विवादित भूमि में से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे ।

14/3/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिवादी सं. 8 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। बद्रीप्रसाद ने अपने जीवनकाल में 14 बीघा भूमि को बेचान कर दिया था और बद्रीप्रसाद के नाम चक 12 एलएलजी के प. नं. 6/171 (9) कि. नं. 1 ता 15, 19, 20 पं. नं. 7/170 (6) कि. नं. 13 ता 25 कुल 30 बीघा भूमि माफी मंदर है । जिसमें विरासतन हक नहीं होता। बद्री प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् वादिया व विधया की दोनों लड़कियों ने चक 8 एलएलजी 39 बीघा भूमि में अपना हक व हिस्सा छोड़ दिया और उक्त भूमि का इंतकाल बद्रीप्रसाद के तीनों लड़कों और पत्नी नानु देवी के नाम से दर्ज हो गया । जिसे आज तक चुनौती नहीं दी । इस प्रकार प्रत्येक लड़की का इस आराजी में 1/24 हिस्सा बनता है । यह हिस्सा वह पिछले 30 वर्षों से छोड़ चुकी है । इस कारण वह हक प्राप्त नहीं कर सकती। नानु देवी की मृत्यु पर उसकी भूमि 9.15 बीघा का इंतकाल बराबर 5 हिस्सों में दर्ज हो चुका है । जिसे भी वादिया और उसकी बहिन ने पिछले 20 वर्षों से अपनी आराजी में हक नहीं जताया । इस कारण हक पाने की हकदार नहीं है । बद्रीप्रसाद के नाम 83 बीघा भूमि होना गलत बताया है । वादिया ने वाद में गलत तथ्य दर्ज किये है । अतः निवेदन है कि दावा खारिज किया जावे ।

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जवाबदावा पेश कर दावा को खारिज करने का निवेदन किया । इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 10 ने जवाबदावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया । प्रतिवादी सं. 4 ने जवाबदावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया । प्रतिवादी सं. 8 ने दिनांक 27.02.2006 को जवाबदावा मय काउन्टरक्लेम पेश कर निवेदन किया कि दावा खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 बिन्दू कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 03.12.2013 को वादिया को कुल 23 बीघा भूमि में 1/20 हिस्से का प्रतिवादी सं. 2 को 1/20 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 1/3 को ब.हि.ब 6/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 8 को 6/20 हिस्से का खातेदार घोषित किया।

14/3/17
राजस्व अपील प्राधिकरण
श्रीगंगानगर (राज.)

शेष खाता बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूद्ध वादिया अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपीलमीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बद्रीप्रसाद की 3 चकों में कुल 83 बीघा भूमि थी। वो पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें वादिया का 1/5 हिस्सा बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नें बेचान की भूमि को निकालकर 77 बीघा भूमि मानी है जिसमें से वादिया 1/5 हिस्सा की हकदार है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 1/20 हिस्सा का खातेदार मानकर डिक्री जारी की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैतृक सम्पत्ति के संबंध में कोई वाद बिन्दु नहीं बनाया। समस्त भूमि बद्रीप्रसाद की स्वअर्जित थी जो जमाबंदी से साबित है । अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पत्ति का गलत रूप से विश्लेषण किया है बद्री प्रसाद की मृत्यु के बाद वादिया की माता नानू देवी का उसमें 1/5 हिस्सा बनता था। इस हिस्से से नानू देवी 19.5 बीघा की हकदार थी । नानु देवी की मृत्यु के बाद भी वादिया इसमें 1/5 हिस्सा करीब 4 बीघा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी थी । इस प्रकार वादिया पैतृक सम्पत्ति होने पर भी 8 बीघा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी थी । विवादित भूमि में से 60 बीघा भूमि बद्रीप्रसाद को अपने भाई रामनारायण के साथ विभाजन में प्राप्त हुई और 23 बीघा भूमि बद्रीप्रसाद अकेले की थी । इस प्रकार कुल 83 बीघा भूमि बद्री के पास थी । यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती । इस भूमि के जो बैयनामे दिखाए हैं वे नुमाइशी है और सिलिंग कानून से बचने के लिए करवाए गए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का सही विश्लेषण नहीं किया एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त

14/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करते हुए वादी का वाद पूर्ण रूप से डिक्री किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने एआईआर 1970 पेज 230 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिया ने अपने पिता बद्री की भूमि में से हिस्से लेने का दावा किया । अधीनस्थ न्यायालय ने 83 बीघा भूमि मानते हुए 1/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया । वादिया ने उक्त भूमि में अपना 1/5 हिस्से की मांग की है । जबकि प्रतिवादी द्वारा क्रॉस ओबजैक्शन पेश कर निवेदन किया किया मंदिर की 30 बीघा भूमि में सावित्री का कोई हक नहीं बनता और जो 39 बीघा भूमि जरिए बैयनामा ओमप्रकाश, मनीराम, भागीरथ व नानु देवी के नाम से दिनांक 17.01.1959 को खरीद की गई है । उसमें वादिया का कोई हिस्सा नहीं है । केवल 8 एलएलजी की 23 बीघा भूमि बद्रीप्रसाद के नाम से है । जो पैतृक सम्पत्ति है । जस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 लागू होती है । उसके अनुसार 23 बीघा में बद्रीप्रसाद के तीन लड़के व वादिया चारों का ब.हि.ब. जाने में चारों को 5.15 बीघा भूमि प्रत्येक के हिस्से में आयेगी। 5.15 बीघा भूमि में 3 लड़के, 2 लडकियां व बद्रीप्रसाद यानी 6 हिस्से होंगे जिसमें 5.15 बीघा भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में प्रत्येक को आयेगा। बद्रीप्रसाद ने अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि बेच दी है । इसलिए सावित्री का हिस्सा बचा ही नहीं है तो कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आर.आर.डी. 2001 पेज 21, 206 डीएनजी (एससी) पेज 967, 2015 डीएनजे एससी पेज 1088 की नजीरें पेश की और निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज कर रेस्पों के क्रॉस ओबजेक्शन को स्वीकार किया जावे ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया बद्रीप्रसाद की पुत्री है एवं बद्रीप्रसाद के 5 वारिस है इस सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार का कोई एतराज नहीं है। अधी. न्यायालय में वादिया द्वारा बद्रीप्रसाद

14/7/17

श्रीगंगानगर (राज.)

की भूमि में अपना पांचवा हिस्सा घोषित कराने का दावा पेश किया । जिसे अधी.न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार कर ब्रदीप्रसाद की भूमि में 1/20 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया ।बद्रीप्रसाद की कुल भूमि क्रमशः 39+23+30=82 बीघा का **confession** भी पत्रावली पर उपलब्ध है। यह आराजी बद्रीप्रसाद की मृत्यु उपरान्त रा0का0अ0 1955 की धारा 40 के अनुसार उनके वारिसान में **devolve** योग्य है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3(1)(f) पठित धारा 8 के अनुसार सावित्री का पाचवां हिस्सा 16.04 बीघा बनता है जो अधी.न्यायालय ने घोषित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश दिनांक 03.12.2013 निरस्त किया जाकर अधी.न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के 5वें हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मंगवाकर अन्तिम डिक्री पारित करें।

निर्णय दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर